

भीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
अजमेर।

खाता दुरुस्ती आदेश पत्र
(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 धारा 130)

दिनांक 20/7/23

विषय - राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत।

Sec 28

2023/146

महोदय

उपरोक्त विषया तर्गत विवेक है कि ग्राम काजीपुरा पटवार मण्डल बोराज

भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अजमेर तहसील अजमेर की जमाबंदी संख्या 2012-75

सं. 160 में विष्णु पुत्र सरदार जाति रावत

अंकन है। जबकि जमाबंदी संख्या

के खाता संख्या आधार कार्ड में बिसन सिंह रावत पुत्र सरदार

जाति रावत

अंकन दर्ज था। उक्त अंकन दर्जवाले जमाबंदी

में बिना किसी आधार को गलत अंकन हो गया। अतः जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी सं. 160 के अंकन दुरुस्ती करने की स्था करावे।

दिनांक

21/7/23

संलग्न- शपथ पत्र

जमाबंदी

आधार कार्ड

जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच की गई कि पार्थी के खाता सं. 160 में पार्थी का नाम

विष्णु पुत्र सरदार दर्ज है जबकि पार्थी के आधार कार्ड में बिसन
सिंह रावत पुत्र सरदार दर्ज है। अंकन दर्ज है जो गलत है।

अतः उक्त अंकन के स्थान पर नवीन अंकन विष्णु उर्फ बिसन सिंह रावत जाति रावत

दुरुस्त किये जाने की अनुराधा की जाती है।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर पटवारी
पटवारी-बोराज

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक
हल्का

हस्ताक्षर तहसीलदार
तहसीलदार, अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

दिनांक- 08/6/23

क्रमांक उखअ/राजस्व/शिविर/21/114

00 आदेश 00

रिपोर्ट व अनुराधा पटवारी हल्का बोराज भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अजमेर व तहसीलदार अजमेर

अजमेर के आधार पर ग्राम काजीपुरा पटवार मण्डल बोराज भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अजमेर

तहसील अजमेर की जमाबंदी के खाता सं. 160 खसरा नम्बर 1844/9258, 1845, 1847 पर

नवीन अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130 के अन्तर्गत दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जा रहे हैं।

तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकॉर्ड का मिलान/जांच एवं मा. न्यायालय

में वाद विचाराधीन एवं स्थान आदेश की पूर्ण जानकारी करने के पश्चात् ही रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे।

विष्णु उर्फ बिसन सिंह रावत पुत्र सरदार

उपखण्ड अधिकारी अजमेर